


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक-एफ-1(2)एफडी(रूल्स)06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक-11.06.2014 एवं एफ1(2)एफडी (रूल्स)06/पार्ट-1 दिनांक-07.08.2014 की अनुपालना निम्नलिखित परिवीक्षाधीन व्याख्याताओं (प्रोबेशनर-ट्रेनी) का उनके चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.स.	नाम कार्मिक मय कार्यरत स्थान	कुल अवकाश अवधि	स्वीकृत अवकाश के दिनों की संख्या
1.	गंगाधर ढाका, व्याख्याता (इतिहास) राउमावि, सालेरा-सहाडा-भीलवाडा	07.03.18 से 16.03.18 20.03.18 से 27.03.18 02.04.18 से 12.04.18 16.04.18 से 27.04.18 30.04.18 से 07.05.18 22.06.18 से 14.07.18	10 दिन 08 दिन 11 दिन 12 दिन 08 दिन 23 दिन
		कुल अवकाश	72 दिन



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा / माध्य / संस्था / सी2 / इति-वाणि / स्थायी. / अ.अवकाश / 18 दिनांक:- 20/5/19
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है :-

1. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय,
3. संबंधित ब्लाक शिक्षा अधिकारी
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित शाला / संस्था प्रधान / संबंधित कार्मिक
6. रक्षित प्रत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) वाणिज्य/इतिहास वेतन श्रृंखला (6500-10500) के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ-1(2) एफ.डी/नियम/2006 दिनांक: 13.03.06 एवं एफ 12 (6) एफ.डी/नियम/05 दिनांक: 13.03.06 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये निम्नांकित प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के नियम 22 एवं अनुसूची 5 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 08 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पी.बी.-2 (9300-34800 एवं ग्रेड पे 4800/-रु) एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 08 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है:-

क्रमांक	मेरिट नम्बर	वर्ग	नाम अभ्यार्थी एवं पिता का नाम	जन्म तिथि	विषय	कार्यग्रहण की तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि	वर्तमान पदस्थापन (प्राध्यापक-वाणिज्य/इतिहास) (राजमावि)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	BC,NG	गणपत लाल पुत्र गंगाराम	12.05.84	इतिहास	20.07.15	21.07.17	खारिया,मीठापुर-जोधपुर
2	397	BC,WE	कुसुम कुमारी पुत्री भेरूलाल	07.03.85	वाणिज्य	13.01.16	13.01.18	रूपनगर-अजमेर
3	191	GE,BL	किशुक शर्मा पुत्र कमलकान्त शर्मा	27.10.92	इतिहास	20.07.15	21.07.15	घाटोल-बांसवाडा


(नथमल डिल्ले)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 20/05/19

क्रमांक:शिविरा/मा/संस्था/सी-2/प्रोटे/वाणिज्य-इतिहास/नियमितिकरण-स्थाई/ 2017

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. ऋष शासन सचिव, प्रथम, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II).....
4. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग, कार्यालय हाजा
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को नेट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी/रक्षित पत्रावली



अनुपुस्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक - एफ-1(2)एफडी(रूल्स)06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11/06/2014 की अनुपालना में निम्नांकित कार्मिकों द्वारा परीविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परीविक्षाकाल की अवधि में से निम्नांकित अवधि में उपभोग किए गए अवकाशों का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	अवकाश का विवरण	कुल दिवस अवैतनिक अवकाश
1	मनोज कुमारी, काकोडा, झुंझुनू	24.09.17 से 29.09.17	06 दिवस
2	रीता आहुजा, बन्धडा-पांचू-बीकानेर	14.11.17 से 18.11.17 18.07.18 से 28.07.18	05 दिवस 11 दिवस कुल 16 दिवस
3	बबीता, पडासला-बापिणी-जोधपुर	05.02.19 से 21.02.19	17 दिवस
4	रेणु कुमारी शर्मा, सिंगवाडा - दौसा	17.11.18 से 01.12.18 10.12.18 से 19.12.18 09.01.19 से 21.01.19	15 दिवस 10 दिवस 13 दिवस कुल 38 दिवस
5	रणवीर सिंह, नेवरिया-राशमी-चित्तौड़	30.07.18 से 11.08.18	13 दिवस
6	सुशीला, 15केडब्लूडी, रावतसर-हनुमानगढ़	19.02.18 से 27.02.18	09 दिवस
7	प्रमीला, चैवरा - झुंझुनू	09.01.19 से 11.01.19 15.01.19 से 30.01.19 04.02.19 से 08.02.19 18.02.19 से 22.02.19 25.02.19 से 08.03.19 11.03.19 से 15.03.19	03 दिवस 16 दिवस 05 दिवस 05 दिवस 12 दिवस 05 दिवस कुल 46 दिवस
8	सीमा गौतम, खानपुर मेवान, अलवर	20.12.18 से 22.12.18	03 दिवस
9	राम कन्या, सिरपोई - झालावाड	01.10.18 से 10.10.18 12.10.18 से 22.10.18	10 दिवस 11 दिवस कुल 21 दिवस

कार्मिक के परीविक्षाकाल में वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 11.06.2014 एवं 07.08.2014 के अनुसार नियमानुसार वृद्धि होगी ।



(निथमल डिडेल)
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-7/पीएससी-11/स्थायी/2015/2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : 2015/19

- 1 संबधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,
- 2 सिस्टम ऍनेलिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु
- 3 संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
- 4 संबधित प्रधानाचार्य, राउमावि,
- 5 संबधित कार्मिक
- 6 निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

शासन उप सचिव- शिक्षा (गुप्प-2) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.7(6)शिक्षा-2/2018 जयपुर दिनांक 13.05.2019 के द्वारा श्री आत्माराम व्या हिन्दी, राउमावि ढाबा झालार- सूरतगढ- श्रीगंगानगर के परिवीक्षाकाल में 90 दिवस के अतिरिक्त उपभोग किये गये निम्न तालिका में वर्णित अवधि कुल 39 दिवस के असाधारण अवकाश की स्वीकृति होने के पश्चात असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है -

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	अवकाश का विवरण	कुल दिवस
1	आत्माराम, ढाबा झालार- गंगानगर	26.07.16 से 05.08.16 15.08.16 से 26.08.16 14.09.16 से 29.09.16	11 दिवस 12 दिवस 16 दिवस कुल 39 दिवस

कार्मिक के परिवीक्षाकाल मे वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 11.06.2014 एवं 07.08.2014 के अनुसार नियमानुसार वृद्धि होगी ।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक : 2015/19

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-7/पीएससी/स्थायी/2015/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,
- 2 सिस्टम एनेलिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु
- 3 संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
- 4 संबधित प्रधानाचार्य, राउमावि,
- 5 संबधित कार्मिक
- 6 निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर